

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 107 / 2026

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

1. मखन सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. भगवान सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम

1. गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुरविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. बिन्द्र कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. जसविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. मनदीप कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

- उपस्थित - 1. श्री महावीर बेरड़ एडवोकेट (वादी)  
2. कुलदीप मूण्ड एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 5 )

निर्णय

दिनांक:- 8.5.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 वादीगण की बहिने है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 20/99 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.517 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि परित्याग वादीगण के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि अन्य चक में प्राप्त कर ली है तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 5 की शादी अच्छा दान-दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो राजीखुशी अपना जीवनयापन कर रही है। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से है कि वादीगण मखन सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह एवं भगवान सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की व.हि.ब. कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 20/99 जमाबन्दी सम्वत्

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी

2070-73 में 1.517 है। कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 5 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को विरासतन अधिकारी होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 6 को भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर सिगोदार प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि मुताबिक बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 20/99 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.517 है। कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि. ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश '18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 3 बीजीपी खाता सं. 20/99 जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 की जमाबन्दी प्रदर्श 1 व चक 3 बीजीपी खाता सं. 34/35 जमाबन्दी सम्वत् 2053 प्रदर्श-2 करवाये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 3 बीजीपी खाता सं. 20/99 जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में प्रतिवादी संख्या 1 जगपाल पुत्र राधेराम के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 3 बीजीपी खाता सं. 34/35 जमाबन्दी सम्वत् 2053 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 2 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
संगरिया

प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:- चक 3 बीजीपी खाला सं. 20/99 जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजून किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 8.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में

सुनाया गया।



(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, सोनभद्र जिला  
सोनभद्र

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
 वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88 आरटीए  
 प्रकरण संख्या:- 107/2026

- 1 मखन सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 2 भगवान सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

- 1 गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 2 गुरविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 3 बिन्द्र कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 4 जसविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 5 मनदीप कौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 6 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 5 श्री कुलदीप मूण्ड एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 3 बीजीपी खाता सं. 20/99 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब कृषि भूमि के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज  नल  मुब्लिक  निल  बाबत्  निल  खर्चा मुकदमें के

मय शुद वा शरहं फीसदी सालाना आज की तारीख वंसूलयाबी तक  अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 8.5.2024 को जारी किया



(जय कौशिक)  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
 खण्ड अधिकारी  
 संगरिया